प्रेस नोट
दिनांक 25.01.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–15/26, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी हत्याभियुक्त बाबूलाल पुत्र राममगन, निवासी ग्राम भयकपुरवा, मौजा भोलाजोत, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा, को भयकपुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 23.01.2026 को समय करीब 09.00 बजे थाना खरगूपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भयक पुरवा भोलाजोत में घरेलू विवाद के दौरान अभियुक्त बाबूलाल पुत्र राम मगन ने अपनी पत्नी रेनू (उम्र लगभग 40 वर्ष) पर घर में रखे फावड़े से सिर व पीठ पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मृतका के पिता राम सेवक पुत्र हरिद्वार की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर प्र0नि0 खरगूपुर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 25.01.2026 को पुलिस टीमों द्वारा आरोपी हत्याभियुक्त बाबूलाल पुत्र राममगन, को भयकपुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. बाबूलाल पुत्र राममगन, निवासी ग्राम भयकपुरवा, मौजा भोलाजोत, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–15/26, धारा 103(1) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम
01. प्रभारी निरीक्षक शेषमणि पाण्डेय थाना खरगूपुर
02. वरिष्ठ उ0नि0 पंकज कुमार
03. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार
04. उ0नि0 मो0 तारिक सिद्दीकी
05. मुख्य आरक्षी उत्तम कुमार
06. आरक्षी सुनील कुमार
07. आरक्षी ऋषिकेश यादव
08. आरक्षी सत्यजीत मौर्या

मीडिया सेल, गोण्डा।